उत्तर प्रदेश शासन
सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-10
संख्या-73/2026/787ए/2026-27-10002(002)/10/2025-10
लखनऊ: दिनांक: 25 जून, 2026

<u>शुद्धि-पत्र</u>

सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-10, उत्तर प्रदेश शासन के वित्तीय स्वीकृति से आच्छादित शासनादेश संख्या-30/2026/787/2026-001-27-10002(002)/10/2025-10, दिनांक 15.05.2026 के प्रस्तर-1 में अंकित *लेखाशीर्षक-4702-101-03-0316-24 ''खण्डीय/सिंचाई कार्यशाला में स्थापित उपकरण एवं संयंत्रों का आधुनिकीकरण एवं पुनर्स्थापना''* के स्थान पर ***लेखाशीर्षक-4702-102-03-0316-24 ''खण्डीय/सिंचाई कार्यशाला में स्थापित उपकरण एवं संयंत्रों का आधुनिकीकरण एवं पुनर्स्थापना''*** पढ़ा जाए।

2- उपर्युक्त शासनादेश को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाए। शेष व्यवस्थायें यथावत रहेंगी।

इन्द्रजीत सिंह
अनु सचिव

<u>संख्या-73/2026/787ए(1)/2026-27-10002(002)/10/2025-10, तद् दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
(2) महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
(3) प्रमुख अभियंता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उ0प्र0, लखनऊ।
(4) प्रमुख अभियंता (यांत्रिक), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उ0प्र0, लखनऊ।
(5) मुख्य अभियन्ता (बजट), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उ0प्र0, लखनऊ।
(6) वित्त नियंत्रक, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उ0प्र0, लखनऊ।
(7) मुख्य अभियन्ता (नलकूप वाराणसी/पूर्व), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उ0प्र0, वाराणसी/अयोध्या।
(8) मुख्य अभियन्ता (सूचना प्रणाली संगठन)/नोडल अधिकारी, सी0एम0 आई0एस0 पोर्टल।
(9) वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (नलकूप), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उ0प्र0, लखनऊ।
(10) नोडल अधिकारी/अनु सचिव, ऑन लाइन बजट आवंटन, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उ0प्र0 शासन।
(11) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8/ सिंचाई एवं जल संसाधन अनु0-9/नियोजन अनु0-3
(12) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
(13) गार्ड बुक (बजट)।

आज्ञा से,
इन्द्रजीत सिंह
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।